भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 686

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना

686. श्री अरूण गोविल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यास और सतलुज नदियों से भारत के हिस्से में से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति कब तक बंद कर दी जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विस्थापित लोगों को जल विद्युत परियोजनाओं की नहरों में मछली पालन के लिए पट्टा देने का विचार है ताकि विस्थापित लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): सतलुज और व्यास नदियों का पानी मानसून के मौसम के अलावा पाकिस्तान की ओर नहीं बहता, अर्थात, बाढ़ आने पर जब इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। ऐसी स्थिति असाधारण परिस्थितियों में या छोटे समय के मानसून के दौरान ही उत्पन्न होती है जब बांधों द्वारा संग्रहित जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है और बांधों की सुरक्षा के लिए पानी छोड़ा जाना अपेक्षित हो जाता है।

(ख) और (ग): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापना अधिनियम, 2013 समुचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार के अनुसार क्षतिपूर्ति के पैकेज के अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है कि ''सिंचाई या जलविद्युत परियोजनाओं के मामलों में, प्रभावित परिवारों को उपर्युक्त सरकार द्वारा निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार जलाशयों में मछली पालन का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (क्षतिपूर्ति, पनुर्वास और पुनर्स्थापना और विाकस योजना) नियम, 2015 में आगे उल्लिखित है कि मछली पालन के अधिकार मत्स्य विभाग द्वारा सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग के साथ परामर्श करके प्रदान किए जाएंगे।

*****